सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 13/2014 अपील

शांतिलाल पिता मोतीलाल डांगी, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन, तहसील निम्बाहेड़ा।

– अपीलाण्ट

//बनाम//

1– शंकरलाल पिता मोतीलाल डांगी, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
2– रमेश पिता मोतीलाल डांगी, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
3– बंशीलाल पिता मोतीलाल डांगी, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
4– हगामी बाई बेवा मोतीलाल डांगी, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
5– रतनलाल पिता टेकचन्द डांगी, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
6– राधी बाई पुत्री टेकचन्द डांगी, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
7– वेणीराम पिता दल्ला डांगी, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
8– जवाहरलाल पिता दल्ला डांगी, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
9– हीरालाल पिता दल्ला डांगी, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
10– नारू बाई पुत्री हंसराज पत्नी प्यारचंद डांगी, आयु वयस्क, निवासी बडोली माधोसिंह।
11–केसर बाई पुत्री हंसराज पत्नी उदयराम डांगी, आयु वयस्क, निवासी चरलिया भोपाली।
12– चांदी बाई पुत्री हंसराज डांगी, आयु वयस्क, निवासी शम्भुपूरा।
13– कालू मुतबन्ना हंसराज डांगी, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
14– भैरूलाल पिता लक्ष्मण डांगी, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
15– त्रिलोकचन्द पिता लक्ष्मण डांगी, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
16– मोहनलाल पिता लक्ष्मण डांगी, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
17– राधेश्याम पिता हीरालाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
18– धनराज पिता हीरालाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
19– भैरूलाल पिता हीरालाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
20– प्रेम बाई पुत्री हीरालाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
21– ललिता पुत्री हीरालाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
22– कनीराम पिता भगवाना धाकड़, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
23– प्रभूलाल पिता भगवाना धाकड़, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
24– ग्राम पंचायत लसड़ावन जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत लसड़ावन।

– रेस्पोण्डेण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 675, दिनांक 10.06.1975 ग्राम पंचायत लसड़ावन बाबत।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 21.11.2017

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा लसड़ावन की खाता संख्या 102 की आराजी नं. 1589 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें रेकार्ड अनुसार खातेदार टेकचन्द, दल्ला, लक्ष्मण पिता परथा डांगी का नाम दर्ज रेकार्ड होकर तीनों का समान रूप से 1/3, 1/3 हक हिस्सा निहित है। खातेदार लक्ष्मण ने बिना किसी विधिक अधिकार के बनावटी विक्रय पत्र दिनांक 17.05.1974 के द्वारा भगवानलाल पिता डूंगा धाकड़, निवासी लसड़ावन को विक्रय कर दी जिसकी जानकारी अपीलाण्ट व उनके पिता को नहीं होने दी। पहली बार दिनांक 13.05.2014 को जमाबन्दी की नकल ली तब पता चला कि उक्त आराजी नं. 1589 जिसके नवीन नम्बर 2441 रकबा 0.9800 हेक्टेयर है, वो अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 से 16 के नाम पर दर्ज नहीं हैं और अपीलाण्ट के खाते से पृथक निकल कर रेस्पोण्डेण्ट संख्या 17 से 23 के नाम दर्ज हो गई है जिस पर अपीलाण्ट ने नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की हे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण खोलने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया की विक्रय की जाने वाली आराजी नं. 1589 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा रेकार्ड अनुसार खातेदार टेकचन्द, लक्ष्मण, दल्ला पिता परथा डांगी के नाम पर दर्ज होकर उसमें तीनों का समान रूप से 1/3, 1/3 हक हिस्सा निहित है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे का नामान्तरकरण रेस्पोण्डेण्ट संख्या 17 से 23 के नाम पर खोलने में गंभीर कानूनी त्रुटी की है। उक्त भूमि में विक्रेता लक्ष्मण का मात्र 1/3 हक हिस्सा निहित था और उसी अनुसार लक्ष्मण को विक्रय करने का अधिकार था। अपने हक हिस्से से अधिक की भूमि का विक्रय करने का लक्ष्मण को कोई अधिकार नहीं था। बनावटी विक्रय पत्र के आधार पर किया गया उक्त नामान्तरकरण शून्य है। मूल पुरूष परथा जी के तीन पुत्र टेकचन्द, लक्ष्मण व दल्ला हुए। टेकचन्द जी के मोतीलाल, रतन व राधी बाई वारिस हुए। मोतीलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस शांतिलाल, शंकर, रमेश, बंशीलाल व हगामी बाई हैं। इसी प्रकार लक्ष्मण के वारिस हंसराज, भैरूलाल, त्रिलोकचन्द व मोहनलाल हुए जिसमें से हंसराज की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस नारू बाई, केसर बाई, चांदी बाई व कालू (गोद पुत्र) हुए। इसी प्रकार दल्ला के वेणीराम, जवाहरलाल व हीरालाल हुए। इस प्रकार सजरा अनुसार परथा जी की सम्पत्ति में लक्ष्मण का मात्र 1/3 हक हिस्सा था परन्तु हिस्से से अधिक आराजी का विक्रय कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने मौके पर कब्जे की भी कोई जांच नहीं की है। मौके पर आज भी अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 से 16 का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण निर्णित करने से पूर्व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कोई विधिवत सूचना पत्र भी अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेण्ट को जारी नहीं किया ना ही सुनवाई का कोई विधिवत अवसर दिया। मन मकसुद तरीके से से विधि विरूद्ध तौर से उक्त नामान्तरकरण खोला है जो निरस्त योग्य है। पूर्व में अपीलाण्ट को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पहली बार जानकारी दिनांक 13.05.2014 को हुई तथा जानकारी होते ही प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी से अन्दर मियाद है। अन्दर मियाद हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोण्डेण्ट संख्या 17 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब हेतु अवसर चाहा। अन्य रेस्पोण्डेण्ट्स बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोण्डेण्ट संख्या 17 की ओर से कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब बन्द किया गया।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में नामान्तरकरण संख्या 675 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2067–70 ग्राम लसड़ावन की खाता संख्या 607 की प्रति प्रस्तुत की है। प्रस्तुत नामान्तरकरण में सम्पूर्ण खाता तीनों भाईयों का शामलाती बताया गया है परन्तु विक्रय से आराजी नं. 1589 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भगवान जी को विक्रय करना अंकित है। अपीलाण्ट मौके पर आज भी अपना और रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 से 16 का कब्जा बताते हैं। मौके पर कब्जा होने की स्थिति में किसी प्रकार का हस्तान्तरण वैध नहीं माना जा सकता है। शामलाती खाते की भूमि का बिना विधिवत बंटवारा कराये विक्रय किया जाना विधि सम्मत नहीं होता है क्योंकि शामलाती भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का समान हक हिस्सा होता है। विधिवत बंटवारा भूमिधारी तहसीलदार के द्वारा ही किया जा सकता है। प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेड़ा के माध्यम से कोई बंटवारा नहीं किया गया है। साथ ही कब्जे का हस्तान्तरण प्रकट नहीं होता है। बगैर विधिवत बंटवारा और बगैर कब्जा हस्तान्तरण के किया गया हस्तान्तरण विधिक नहीं है। अपीलाण्ट ग्रामीण अंचल का कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसे कानूनी बारिकीयों की जानकारी नहीं होने का तथ्य स्वीकार योग्य है। अपीलाण्ट ने मौके पर अपना संयुक्त कब्जा भी बताया है। ग्रामीण अंचल के कम पढ़े लिखे व्यक्ति को समय पर नामान्तरकरण की जानकारी नहीं होना स्वीकृत होकर क्षम्य योग्य है। इसके अतिरिक्त रेस्पोण्डेण्ट्स बावजूद सूचना तामिल व अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इससे भी अपीलाण्ट के कथनों को बल मिलता है। पीड़ित पक्ष को विधिक सहायता प्राप्त करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत लसड़ावन का नामान्तरकरण संख्या 675 दिनांक 10.06.1975 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार निम्बाहेड़ा को रिमाण्ड कर आदेश दिये जाते हैं कि प्रकरण की पूर्ण जांच कर, सभी पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए नियमानुसार नामान्तरकरण निर्णित किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 21.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा